कुँवर सिंह यादव
जिला पंचायतराज अधिकारी
प्रतापगढ़

::संदेश::

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया एवं पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के सक्षम इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रदेश शासन का अनवरत प्रयास रहा है। संविधान संशोधन में व्यापक परिवर्तन आयें हैं। विकेन्द्रीकरण योजना प्रक्रिया में जनसहभागिता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित चयन, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थओं को दिया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि पंचायतों को सुदृढ़ तथा सक्षम स्वरूप प्रदान किया जाये, ताकि वे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझते हुए सतत् विकास की अवधारणा परिचित हों तथा विभिन्न योजनाओं के बारे में जनसहभागिता को सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं के साथ!

(कुवंर सिंह यादव)